

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 75/2024

वादीगण-

1. कल्याणसिंह पुत्र उदयसिंह जाति-राजपूत, निवासी छापड़ा तहसील डेह, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. भागीरथसिंह पुत्र किशोरसिंह
2. मोहन कंवर पत्नी किशोरसिंह
3. सुल्तानसिंह पुत्र उदयसिंह
4. भंवरसिंह दत्तक पुत्र भोपाल सिंह जातियान राजपूत निवासीगण छापड़ा, तहसील डेह, नागौर।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्द राम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि- मौजा छापड़ा में खाता 71, 645, 1023 व 606 में वर्णित भूमि में पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार डेह से प्राप्त मौका रिपोर्ट में मौके की स्थिति अनुसार मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं राजीनामा एवं तहसीलदार डेह की मौका रिपोर्ट के अनुसार किया जाकर हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी कल्याण सिंह पुत्र उदयसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 198/1 में से रकबा 5.8189 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा खसरा नंबर 199 रकबा में से रकबा 0.0409 हैक्टेयर कौम राजपूत सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी भागीरथ सिंह पुत्र किशोर सिंह 1/2 एवं मोहन कंवर पत्नी किशोरसिंह 1/2 के संयुक्त हक बंट में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 198/2 रकबा 4.0873 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार कौम राजपूत सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी सुल्तान सिंह पुत्र उदयसिंह के हक बंट कब्जा एवं खातेदारी में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 190 रकबा 1.6234 हैक्टेयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा खसरा नंबर 198/3 रकबा 0.8370 हैक्टेयर कौम राजपूत सा. देह खातेदार घोषित किया जाता है।

6

**सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल**

4. प्रतिवादी भंवरसिंह दत्तक पुत्र भोपालसिंह के हक बंट कब्जा काशत एवं खातेदारी में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 190/1 रकबा 1.4198 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार तथा खसरा नंबर 198 रकबा 1.6226 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार, खेत खसरा नंबर 199/1 रकबा 0.5498 हैक्टैयर नजरीनकशानुसार, खेत खसरा नंबर 198/4 रकबा 0.4547 हैक्टैयर माफिक नजरीनकशानुसार कौम राजपूत सा. देह खातेदार घोषित किया जावे।
5. बैंक के रहन खसरान् बैंक के रहन यथावत रहेंगे तथा संबंधित बैंक को सूचित हो। रहन होने की स्थिति में।
6. तहसीलदार डेह से प्राप्त मौके के अनुसार स्थिति में वर्णित नजरीनकशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिष्ठावर)
सहायक कलेक्टर (ए.ए.) उपखण्ड अधिकारी
जयल (नागौर)

अंतिम डिक्री व मु तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय ह वमनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(अभिष्ठावर)
सहायक कलेक्टर (ए.ए.) उपखण्ड अधिकारी
जयल (नागौर)